"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 54] रायपुर, शनिवार, दिनांक 25 फरवरी 2017—फाल्गुन 6, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

OFFICE OF THE CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, BILASPUR

Bilaspur, the 14th February 2017

NOTIFICATION

No./319/II-6-01/2007.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 22-B of the National Legal Services Authority Act 1987 the sitting of Link Court of Permanent Lok Adalat public utility services (as defind in section 22-A of Legal Services Authority 1987) at Mungeli, Korba, Janjgir-Champa, Dhamtari, Mahasamund, Balodabazar, Rajnandgaon, Balod, Bemetara, Surajpur, Korea, Dantewada, Kanker and Kondagaon as notified vide notification No. 1110/II-06-01/2007 Bilaspur dated 03-07-2015, is hereby dismissed.

By order and in the name of the C.G. State Legal Services Authority
RAJNISH SHRIVASTAVA, Member Secretary.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एन. त्रिपाठी, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.